तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रावलसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 132 / 2020	
24.09.20	अपीलार्थी रावलसिंह पुत्र मूलसिंह निवासी ग्राम चोरडिया, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.06..20 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत चोरडिया के ग्राम चोरडिया पटवार सर्कल चोरडिया के खसरा नं. 70 जमीन का कृषि से आवासीय में कनवर्ड किस नियम से किया व कितनी राशि वसूल की गई तथा खसरा नं. 70 की जमीन किस किस के नाम की गई, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इस अपील में चाही गई सूचना से संबंधित अपीलार्थी द्वारा पूर्व में इस न्यायालय के समक्ष [illegible] सं0 111 / 2020 पेश की गई तथा पूर्व प्रस्तुत अपील 111 / 2020 लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उसका निर्णय दिनांक 14.[illegible] 2020 को किया जा चुका है अतः यह अपील इस स्टेज पर निरस्त [illegible] होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by An p Singh Inda
Date: 2020.10.20 12:34:49 IST
Reason: SelfAttested